अहमदी पुरुषों को स्वर्णिम उपदेश

ख़ुत्बः जुम्अः
हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह पंचम
अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़,

दिनांक 19 मई 2017 ई. स्थान - मस्जिद बैतुलफ़ुतूह,
मोर्डन, यू.के.

अहमदी पुरुषों को स्वर्णिम उपदेश

ख़ुत्बः जुम्अः
हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह पंचम
अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़

दिनांक 19 मई 2017 ई. स्थान - मस्जिद बैतुलफ़ुतूह,

मोर्डन, यू.के.

नाम पुस्तक -	अहमदी पुरुषों को स्वर्णिम उपदेश
Name of Book :	Ahmadi Purushon Ko Swarnim Updesh
ख़ुत्बा जुम्अ: -	हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह पंचम, 19 मई 2017 ई.
Delivered By :	Hazrat Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Masih V
अनुवादक -	शेख़ मुजाहिद अहमद शास्त्री
Translated By :	Sheikh Mujahid Ahmad Shastri
प्रथम हिन्दी प्रकाशन -	नवम्बर 2017
First Hindi Edition :	November 2017
संख्या -	2000
Quantity :	2000
मुद्रक -	फ़ज़्ले उमर प्रिंटिंग प्रेस, क़ादियान
Printer :	Fazle Umar Printing Press, Qadian, 143516 Distt. Gurdaspur, Punjab
प्रकाशक -	मंसूबाबंदी कमेटी भारत, क़ादियान
Publisher :	Mansooba Bandi Commety India, Qadian Distt. Gurdaspur (Punjab) INDIA

ख़ुत्बः जुमअः सय्यदना अमीरुल मो 'मिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़, दिनांक 19 मई 2017 ई. स्थान- मस्जिद बैतुलफ़ुतूह, मोर्डन, यू.के.

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ۔ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ ۔

इस्लाम की शिक्षा जो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर उतरी, हमारा हर मामले में मार्गदर्शन करती है। अगर हम में से प्रत्येक इस मार्गदर्शन का पालन करने वाला बन जाए तो एक सुन्दर समाज की स्थापना हो सकती है। आज ग़ैर मुस्लिम दुनिया जो इस्लाम और मुसलमानों के काम पर आपत्ति करती है इस आरोप के बजाय यह लोग इस्लाम की शिक्षा पर सही रंग में अमल करने के कारण मुसलमानों के नमूनों (आदर्शों) के उदाहरण देकर इस्लाम को मानने वाले हो जाते। कुरआन करीम में अनगिनत आदेश हैं लेकिन उन्हें एक जगह एक वाक्य में अल्लाह तआला ने यह कह कर जमा कर दिया कि-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (अल्अहज़ाब: 22)

कि वास्तव में तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में नेक नमूना हैं और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का सम्पूर्ण जीवन घर से लेकर व्यापक सामाजिक संबंधों तक, कुरआन के आदेशों का पालन करने वाला था। परन्तु दुर्भाग्य से मुसलमानों की अधिकतर संख्या अल्लाह तआला के इस आदेश को पढ़ती तो है, इस बात को बड़े सम्मान की दृष्टि से भी देखती

है परन्तु इसका पालन करने के समय इस को भुला दिया जाता है। अत: वास्तविक सफलता तभी हो सकती है जब हम हर मामले में इस आदर्श को अपने सामने रखें। कभी-कभी व्यक्ति बड़े-बड़े मामलों में तो बड़े अच्छे नमूने दिखा रहा होता है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर छोटी दिखने वाली बातों को इस तरह नज़र अंदाज कर दिया जाता है जैसे उनका महत्त्व ही कोई न हो। जबकि इसके विपरीत आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हमें इन बातों की ओर अपने उपदेशों में भी और अपने नमूने में भी बहुत ध्यान दिलाया है।

अत: अगर अपने जीवन को हम शांतिमय बनाना चाहते हैं, यदि हम अल्लाह तआला के फज़लों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उन्हीं आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है जो हमारे आक़ा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हर मामले में हमारे सामने पेश किए और फिर इस ज़माने में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम ने उन्हें खोलकर हमारे सामने रखा और उसके पालन की ओर ध्यान दिलवाया।

इस समय मैं इस बारे में मर्दों की विभिन्न हैसियतों से ज़िम्मेदारियों के मामले में कुछ कहूंगा। मर्द की घर के मुखिया के तौर पर भी ज़िम्मेदारी है। मर्द की पति के रूप में भी ज़िम्मेदारी है। मर्द की बतौर पिता भी ज़िम्मेदारी है, फिर संतान के रूप में भी ज़िम्मेदारी है। अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले और उन्हें अदा करने की कोशिश करे तो यही समाज में व्यापक शांति, प्रेम और भाईचारे की स्थापना करने का साधन बन जाता है। यही बातें औलाद की तरबियत (प्रशिक्षण) का माध्यम बनकर शांति और मानवाधिकार स्थापित करनी वाली नस्ल के फैलने का माध्यम बन जाती हैं। घरों की शान्ति इन्हीं बातों से स्थापित हो जाती हैं।

आजकल कई घरों की समस्याएं और शिकायतें सामने आती हैं जहां मर्द अपने आप को घर का मुखिया समझकर, यह समझते हुए कि मैं घर का मुखिया हूँ और बड़ा हूँ और मेरे सारे अधिकार हैं, न अपनी पत्नी का

सम्मान करता है और उसे वैध अधिकार देता है, न ही औलाद की तरबियत (प्रशिक्षण) का हक़ अदा करता है केवल नाम का मुखिया है बल्कि ऐसी शिकायतें भी भारत से भी और पाकिस्तान से भी कुछ महिलाओं की तरफ से भी हैं कि पतियों ने पत्नियों को मार-मार कर शरीर पर नील डाल दिए या घायल कर दिया, मुंह सुजा दिए बल्कि कुछ लोग तो इन देशों में रहते हुए भी ऐसी हरकतें कर जाते हैं। फिर बच्चों और बच्चियों पर अत्याचार की सीमा तक कुछ पिता व्यवहार कर रहे होते हैं। अगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मानने के बाद भी जाहिल लोगों की तरह ही रहना है, उन मुसलमानों की तरह ही रहना है जिन्हें धर्म का बिल्कुल पता नहीं है, अपने पत्नी और बच्चों से वैसा ही व्यवहार करना है जो जाहिल लोग करते हैं तो फिर अपनी अवस्थाओं के बदलने का वादा करके हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैअत में आने का कोई फायदा नहीं।

क्या मर्द, जो ख़ुदा का हक़ अदा करने की उनकी ज़िम्मेदारी है और जो व्यावहारिक हालत के मियार बुलंद करने की उन पर ज़िम्मेदारी है, उसे अदा कर रहे हैं। यदि वे उसे अदा कर रहे हों तो फिर यह हो ही नहीं सकता कि कभी उनके घरों में अत्याचार हो।

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने तो सब से पहले घर के मुखिया होने के नाते तौहीद की स्थापना का महत्त्व अपने बीवी बच्चों पर स्पष्ट फरमा कर उस पर अमल करवाया लेकिन यह काम भी प्यार और मुहब्बत से करवाया। डंडे के ज़ोर पर नहीं। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने तो घर के मुखिया होने और दुनिया के सुधार और शरीयत के स्थापना की सारी व्यस्तता होने के बावजूद अपने घर वालों के हक़ अदा किए और प्यार और नरमी और प्रेम से यह हक़ अदा किए। घर का मुखिया होने का अधिकार ऐसे अदा किया कि पहले यह एहसास दिलाया कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी तौहीद की स्थापना है। अल्लाह तआला की इबादत है और इसलिए हज़रत आयशा कहती हैं कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम रात को नफिल के लिए उठते थे और फिर सुबह नमाज़ से कुछ

पहले हमें पानी के छींटे मारकर उठाते थे कि नफिल पढ़ो। इबादत करो। अल्लाह तआला के वह हक़ अदा करो जो अल्लाह तआला के अधिकार हैं।

(बुख़ारी किताबुल वितर हदीस 997)

फिर आप अपने घर वालों के हक़ कैसे अदा करते थे। वे काम जो पत्नियों के करने वाले थे उनमें भी आप उनका हाथ बंटाते थे। अतः हज़रत आयशा ही फरमाती हैं कि जितना समय आप घर पर होते थे घर वालों की मदद और सेवा में व्यस्त रहते थे यहाँ तक कि आप को नमाज़ का बुलावा आ जाता और आप मस्जिद तशरीफ़ ले जाते।

(सहीह अल्बुख़ारी हदीस-676)

अतः यह है वह आदर्श जो हम ने अपनाना है और हमें अपनाना चाहिए, न कि पत्नियों से ऐसा व्यवहार जो अत्याचार के बराबर हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहो अन्हा आपके घरेलू कार्यों का विवरण बयान करते हुए फरमाती हैं कि इसी तरह अपने कपड़े भी ख़ुद सी लेते थे, जूते टांक लिया करते थे, घर का डोल आदि मरम्मत कर लिया करते थे।

(उमदतुल क़ारी शरह सहीह अल्बुख़ारी हदीस 676 जिल्द 5 पृष्ठ 298)

अतः इन आदर्शों को सामने रखते हुए बहुत से परिवारों को अपना जायज़ा (आत्मनिरीक्षण) लेना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या उनके घरों में यह सलूक हैं, यह व्यवहार है?

अपने सहाबा को पति के कर्तव्यों और उसके व्यवहार के मियार के बारे में एक अवसर पर फ़रमाया जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो अन्हो से रिवायत है कि मोमिनों में पूर्ण ईमान वाला वह है जिस के आचरण अच्छे हैं और तुम में से आचरण के अनुसार सबसे अच्छा वह है जो अपनी औरतों के लिए बेहतर है। (सुनन अत्तिरमिज़ी हदीस-1162)

अतः हर व्यक्ति को जिसका अपनी पत्नियों से अच्छा व्यवहार नहीं है जायज़ा लेना चाहिए कि अच्छे आचरण और पत्नियों से अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन केवल ज़ाहिरी अच्छा आचरण नहीं है बल्कि आपने फ़रमाया कि ईमान के मियार की बुलंदी का भी संकेत है।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पति के कर्तव्यों और पत्नियों से अच्छे व्यवहार का वर्णन करते हुए फ़रमाते हैं कि फहशा (अनाचार) को छोड़कर सभी टेड़ी आदतें और तल्खियाँ महिलाओं की सहन करनी चाहिए और फ़रमाया कि हमें तो पूर्णता बेशर्मी मालूम होती है कि मर्द होकर महिला से जंग करें। हम को ख़ुदा ने मर्द बनाया है और वास्तव में यह हम पर नेअमत का पूर्ण होना है उसका धन्यवाद यह है कि हम महिलाओं से प्यार और नरमी का व्यवहार करें।

एक बार एक मित्र के कठोर व्यवहार और बुरी भाषा का उल्लेख हुआ कि वह अपनी पत्नी से बड़ा सख्ती से पेश आता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस बात से बहुत दु:खी हुए, बहुत खेद व्यक्त किया। फ़रमाया हमारे अहबाब को ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर लिखने वाले लिखते हैं कि उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम बहुत देर तक औरतों से व्यवहार के बारे में बात कहते रहे और अंत में फ़रमाया कि मेरा यह हाल है कि एक बार मैंने अपनी पत्नी से तेज़ आवाज़ में बात की थी और मैं महसूस करता था कि वह ऊंची आवाज़ दिल के दुख से मिली हुई है। (ज़ोर से बोले थे और सोचा कि शायद इसमें दिल का कोई दुख भी शामिल है) और इस के अतिरिक्त कोई दिल दुखाने वाली बात मुंह से नहीं निकाली थी। (लेकिन इसके बावजूद भी आप फ़रमाते हैं कि) इस के बाद मैं बहुत देर तक इस्तिग़फार करता रहा और बड़ी विनम्रता और विनय से नफलें पढ़ीं और कुछ दान भी दिया कि बीवी पर यह सख्ती अल्लाह तआला की किसी छुपी हुई अवहेलना का परिणाम है। (उद्धरित मल्फूज़ात भाग 2, पृष्ठ 1-2 प्रकाशन 1985 ई.)

तो यह है आप का नमूना। और फिर किसी दोस्त के सख्ती से पेश आने पर आप ने बड़ी चिंता और दर्द प्रकट किया और यह नसीहत भी फरमाई कि वे लोग जो अपनी पत्नियों से ज़रा-ज़रा सी बात पर लड़ते झगड़ते हैं, हाथ उठाते हैं उन्हें कुछ होश करनी चाहिए। यह हाथ अठाना तो खैर अलग रहा जैसा कि मैंने कहा कि घायल भी कर देते हैं, उनके लिए तो बहुत ही चिंता का क्षण है। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के अनुसार उन लोगों

का तो ईमान भी पूर्ण नहीं है, उन्हें अपने ईमान की चिंता करनी चाहिए और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का जो इरशाद था उसी की वजह से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी चिंता हुई कि जिस के ईमान का वह बुलंद मियार नहीं है फिर तो वह कई जगह ठोकर खा सकता है।

अत: जैसा कि मैंने कहा कि यह सामान्यता छोटी दिखने वाली बातें हैं परन्तु यह छोटी नहीं हैं। इन देशों में तो पुलिस तक मामले चले जाते हैं और फिर जमाअत की बदनामी होती है ऐसे लोग फिर सांसारिक सज़ा भी भुगतते हैं और अल्लाह तआला की नाराज़गी भी मोल लेते हैं।

कुछ मर्द कह देते हैं कि महिला में अमुक अमुक बुराई है जिसकी वजह से हमें सख्ती करनी पड़ी। इस पहलू से मर्दों को पहले अपने जायज़े लेने चाहिए कि क्या वे धर्म के मानकों को पूरा करने वाले हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ऐसे ही मर्दों को नसीहत करते हुए फ़रमाते हैं कि "मर्द अगर नेक न हो तो महिला कब नेक हो सकती है।"(पहली शर्त तो यही है कि मर्द नेक हो तभी उसकी पत्नी भी नेक होगी।) फ़रमाया कि "हाँ अगर मर्द सालेह बने तो महिला भी सालेहा हो सकती है।" फ़रमाया कि "कथन से महिला को नसीहत न देनी चाहिए बल्कि कर्म द्वारा अगर नसीहत दी जाए तो उसका असर होता है।" केवल बातों की नसीहत न करो। केवल डांट फटकार न करो बल्कि अपने कर्म से साबित करो कि तुम नेक हो और तुम्हारा हर कदम अल्लाह तआला की आज्ञाओं पर चलने वाला है। फ़रमाया कि ऐसी नसीहत जो कर्म से होगी उसका असर होता है फ़रमाया कि "महिला तो दरकिनार और भी कौन है जो केवल कथन से किसी की मानता है" (कोई नहीं मानता जब तक कर्म न हो।) "अगर मर्द में कोई कमी या त्रुटि अपने अंदर रखेगा तो औरत हर समय उस पर गवाह है।" फ़रमाया कि "जो व्यक्ति ख़ुदा से नहीं डरता तो औरत उससे कैसे डरे? न ऐसे मौलवियों का उपदेश असर करता है न पति का। प्रत्येक अवस्था में व्यावहारिक आदर्श असर करता है।" फ़रमाते हैं कि "भला जब पति रात को उठ उठकर दुआ करता है, रोता है, तो महिला एक दो दिन तक देखेगी

अंत में एक दिन उसे भी विचार आएगा और ज़रूर प्रभावित होगी।" फ़रमाते हैं कि "महिला में प्रभावित होने का माद्दा बहुत होता है........ उनको ठीक करने के लिए कोई मदरसा भी काफी नहीं हो सकता।" (औरतों के सुधार के लिए किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं है किसी संस्था की ज़रूरत नहीं है।) जितना पति का व्यावहारिक काफी होता है।" (अगर सुधार करना है तो पति अपना सुधार कर लें अपने व्यावहारिक नमूने दिखाएँ, उनका सुधार हो जाएगा।) आप फ़रमाते हैं "ख़ुदा ने मर्द तथा औरत दोनों का एक ही वजूद कहा है। यह मर्दों का अत्याचार है कि वह महिलाओं को ऐसा मौका देते हैं कि वह उन्हें कमी पकड़ें। उन्हें चाहिए कि महिलाओं को कभी ऐसा मौका न दें कि वे यह कह सकें कि तू अमुक बुराई करता है।" (कभी ऐसा मौका मर्दों को नहीं देना चाहिए कि महिला यह कहे कि तुम में अमुक बुराई है तुम तो यह बुराइयां करते हो। बल्कि फ़रमाते हैं कि इंसान को इतना पवित्र होना चाहिए कि "महिला टक्करें मार-मार कर थक जावे और किसी बुराई का उसे पता मिल ही न सके तो उस समय उसको दीनदारी का विचार होता है और वह दीन को समझती है।

(मल्फ़ूज़ात जिल्द 5 पृष्ठ 207-208 प्रकाशन 1985 ई)

जब ऐसी स्थिति हो कि तलाश करने के बावजूद मर्द में कोई बुराई नज़र न आए तो तब महिला अगर धार्मिक नहीं भी है तो धर्म की ओर ध्यान उत्पन्न होगा। यहाँ तो मैंने देखा है कि महिलाएं अधिक धार्मिक होती हैं, कई बार यह शिकायत करती हैं कि हमारे पति का धर्म की ओर ध्यान नहीं।

एक तरफ तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की उन मर्दों से यह उम्मीदें हैं जो आप की बैअत में आए और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत से मर्द हैं जैसा कि मैंने कहा कि जिनकी शिकायतें औरतें लेकर आती हैं कि नमाज़ में यह मर्द सुस्त हैं जमाअत के साथ तो अलग रही घर में भी नमाज़ नहीं पढ़ते। धर्म का ज्ञान मर्दों का कमज़ोर है। चन्दों में कई घरों के मर्द कमजोर हैं। टीवी पर व्यर्थ और बेहूदा कार्यक्रम देखने की मर्दों की शिकायतें हैं। बच्चों की तरबियत (प्रशिक्षण) में ध्यान

न देने की शिकायत मर्दों के बारे में है और अगर कभी घर का मुखिया बनने की कोशिश करेंगे भी, बाप बनने की कोशिश करेंगे तो सिवाय डांट-डपट और मारधाड़ के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। महिलाएं मर्दों से सीखने के बजाय कई घरों में महिलाएं मर्दों को सिखा रही होती हैं या उन्हें ध्यान दिला रही होती हैं ताकि बच्चे बिगड़ न जाएं। जिन घरों में भी बच्चे तरबियत की कमी का शिकार हैं वहाँ आमतौर पर कारण मर्दों का अनदेखी करना या पत्नी और बच्चों पर व्यर्थ की सख्ती है। कई बच्चे भी कई बार आ कर मुझे शिकायत कर जाते हैं कि हमारे पिता का हमारी माँ या हमसे व्यवहार अच्छा नहीं है।

अत: अगर घरों को शांतिपूर्ण बनाना है, अगर अगली नस्लों का प्रशिक्षण करना है और उन्हें धर्म से जुड़ा रखना है तो मर्दों को अपनी हालतों की तरफ ध्यान देना होगा।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मर्दों को ध्यान दिलाते हुए फ़रमाते हैं कि "मर्द अपने घर का इमाम होता है तो अगर वही बुरा असर क़ायम करता है तो कितना बुरा असर पड़ने की उम्मीद है।" (उसके कर्म से बुरा प्रभाव स्थापित हो रहा है तो आगे फिर पीढ़ियों में भी बुरा प्रभाव पड़ता चला जाएगा।) फ़रमाया कि "मर्द को चाहिए कि अपनी शक्तियों को यथा उचित और जायज़ अवसर पर उपयोग करे जैसे एक शक्ति गज़ब की है"(अर्थात ग़ुस्सा है) "जब वह मध्यम से अधिक हो तो पागलपन का आरम्भ होती है।" (क्रोध मनुष्य की फ़ितरत में होता है। प्रत्येक आदमी में होता है लेकिन जब अत्यधिक बढ़ जाए तो वह जुनून या पागलपन का आरम्भ बन जाती है।) फ़रमाया कि "जुनून और इसमें बहुत कम अंतर है जो आदमी बहुत गुस्से वाला होता है उससे हिक्मत का स्रोत छीन लिया जाता है। बल्कि यदि कोई विरोधी हो तो उससे भी क्रोध के अधीन होकर बातचीत न करे।"

(मल्फ़ूज़ात जिल्द 5 पृष्ठ 208 प्रकाशन 1985 ई)

घर वालों की बात तो अलग रही विरोधियों से भी इस तरह क्रोधित होकर

बातें नहीं करनी चाहिए। अत: यह है मियार कि घर में पत्नी तथा बच्चों पर ग़ुस्सा नहीं करना और यह ग़ुस्सा तो अलग रहा अगर कोई विरोधी है तो इससे भी उग्र होकर और बुद्धि से खाली होकर बात नहीं करनी। विरोधी की बात को अस्वीकार करने के लिए भी मोमिन के मुंह से गंदे और क्रोध से भरे हुए शब्द नहीं निकलने चाहिए।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि भारत या पाकिस्तान से भी महिलाएं अपने पतियों के अत्याचारों के बारे में लिखती हैं। दोनों स्थानों पर, क़ादियान में भी और पाकिस्तान में भी नज़ारत इस्लाह व इरशाद और ज़ैली तंज़ीमों (संगठनों) को इस ओर ध्यान देना चाहिए और बाकी दुनिया में भी अपने प्रशिक्षण के कार्यक्रम की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए। तब्लीग़ कर रहे हैं और धार्मिक मस्ले सीख रहे हैं लेकिन घरों में बेचैनियां हैं तो इस सब ज्ञान और तबलीग़ का कोई फायदा नहीं है।

महिला का मनोविज्ञान और वह किस प्रकार मर्द को देख रही होती है इसके बारे में बयान फ़रमाते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि-

"मर्द की उन सभी बातों और विशेषताओं को महिला देखती है। वह देखती है कि मेरे पति में अमुक अमुक विशेषताएं तक्वा की हैं जैसे उदारता, नम्रता, धैर्य और जैसे उसे (अर्थात महिला को) परखने का मौका मिलता है वह किसी दूसरे को नहीं मिल सकता।" घर में प्रत्येक दिन देख रही होती है।) फ़रमाया कि "इसीलिए औरत को सारिक भी कहा है क्योंकि यह अंदर ही अंदर स्वभाव की चोरी करती रहती है यहां तक कि एक समय पर पूरा स्वभाव प्राप्त कर लेती है।" फ़रमाते हैं कि "एक व्यक्ति का उल्लेख है वह एक बार ईसाई हुआ" (इस्लाम छोड़कर) "तो महिला भी उसके साथ ईसाई हो गई। शराब आदि आरम्भ में शुरू की, फिर पर्दा भी छोड़ दिया ग़ैर लोगों से भी (वह स्त्री) मिलने लगी (उसकी पत्नी।) पति ने फिर इस्लाम की तरफ़ मुख किया" (अर्थात कुछ समय बाद पति को ख्याल आया कि मैंने इस्लाम छोड़ कर भूल की थी। फिर इस्लाम की तरफ़ लौट आया) "तो उसने पत्नी

को भी कहा कि अब तू भी मेरे साथ मुसलमान हो जा। उसने कहा अब मेरा मुसलमान होना मुश्किल है ये आदतें जो शराब आदि और आज़ादी की पड़ गई हैं यह नहीं छूट सकतीं।"

(मल्फूज़ात जिल्द 5 पृष्ठ 207-208 प्रकाशन 1985 ई)

यह तो एक पराकाष्ठा है कि मर्द इस्लाम से भी दूर हट गया और दूर होकर ईसाई हो गया लेकिन कई मर्द ऐसे भी होते हैं कि इस्लाम तो नहीं छोड़ते नाम की हद तक इस्लाम से जुड़े रहते हैं, अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं लेकिन आज़ादी के नाम पर कई ग़लत हरकतों में लिप्त हो जाते हैं जैसा कि मैं पहले भी उल्लेख कर आया हूँ और फिर उनकी देखा देखी या मर्द के कहने पर औरतें भी आज़ादी के नाम पर उसी माहौल में ढल जाती हैं। फिर कुछ समय बाद मर्दों को विचार आता है कि पत्नी अधिक आज़ाद हो गई है और जब उसे इस आज़ादी से वापस लाने की कोशिश करता है तो लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। फिर मारधाड़ भी यहां होती है। यहाँ भी यही किस्से और घटनाएं होती हैं और जैसा कि मैंने कहा कि इन देशों में पुलिस फिर तुरंत बीच में आ जाती है महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की संस्थाएं जो हैं वे बीच में आ जाती हैं और फिर घर भी टूटते हैं और बच्चे भी बर्बाद होते हैं। अतः इससे पहले कि घर टूटें और बच्चे बर्बाद हों ऐसे मर्दों को अपनी (उन) ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए जो उन पर अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में धर्म डालता है और जो इस्लाम ने उनकी ज़िम्मेदारियां निर्धारित की हैं।

औरतों के अधिकार और उनसे व्यवहार के बारे में एक अवसर पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि-

"महिलाओं के अधिकार की जैसी सुरक्षा इस्लाम ने की है वैसी अन्य धर्म ने बिल्कुल नहीं की। थोड़े शब्दों में कह दिया कि-

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ (अल्बकर: 229)

कि जैसे मर्दों के महिलाओं पर अधिकार हैं वैसे ही महिलाओं के मर्दों पर अधिकार हैं। फ़रमाया कि कुछ लोगों का हाल सुना जाता है कि इन बेचारियों

को पैर की जूती की तरह जानते हैं और सबसे अपमानित सेवाएं उनसे लेते हैं। गालियां देते हैं, तिरस्कार की नज़र से देखते हैं और पर्दे के आदेश ऐसे अवैध तरीके से बरतते हैं कि उन्हें ज़िन्दा दफन कर देते हैं" अर्थात हाथ मुंह के पर्दे की इस प्रकार सख्ती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी सख्ती नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस्लाम बड़ा व्यापक धर्म है। दूसरी ओर महिलाओं को भी मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए कि पर्दे की सुविधा के नाम पर आवश्यकता से अधिक आज़ादी प्राप्त न कर लें और यह भी देखने में आया है कि कुछ आवश्यकता से अधिक आज़ाद हो गई हैं और नाममात्र पर्दा रह गया है। यह भी ग़लत है। अतः औरतें भी याद रखें कि सिर और शरीर को लज्जा की मांग को पूरा करते हुए ढांकना चाहिए यही अल्लाह तआला का हुक्म है, इसका ख्याल रखना चाहिए।

पति तथा पत्नि के संबंध का मियार क्या होना चाहिए। इस बात को बयान फ़रमाते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि-

"चाहिए कि पत्नियों से पतियों का ऐसा संबंध हो जैसे दो सच्चे और वास्तविक दोस्तों का होता है। इंसान के उत्तम स्वभाव और अल्लाह तआला से संबंध की पहली गवाह तो यही महिलाएं होती हैं अगर उन्हीं से उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो कैसे संभव है कि अल्लाह तआला से सुलह हो।" (घर में ही संबंध ठीक नहीं तो यह भी मुश्किल है कि अल्लाह तआला से भी सुलह हो और अल्लाह तआला के आदेश का पालन हो।) फ़रमाया कि "रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ तुम में से अच्छा वह है जो अपने परिवार के लिए अच्छा है। (मल्फूज़ात जिल्द 5 पृष्ठ 417-418 प्रकाशन 1985 ई) अतः यह है वह मियार जो हर आदमी को अपनाना चाहिए।

फिर मर्दों की पिता के रूप में जो ज़िम्मेदारी है उसे भी समझने की ज़रूरत है। केवल यह न समझ लें कि यह बस माँ की ज़िम्मेदारी है कि बच्चे की तरबियत करे। बेशक एक उम्र तक बच्चे का समय माँ के साथ बीतता है और बहुत बचपन में माताओं की तरबियत, बच्चे की तरबियत में

बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है लेकिन इससे मर्द अपने कर्तव्यों से छूट नहीं जाते। बापों को भी बच्चों की तरबियत में अपना योगदान करना चाहिए। खासकर लड़के जब सात-आठ साल की उम्र तक पहुँचते हैं उसके बाद फिर वह बापों के ध्यान और दृष्टि के मोहताज होते हैं अन्यथा विशेष रूप से इस पश्चिमी वातावरण में बच्चों के बिगड़ने की अधिक संभावना हो जाती हैं। यहाँ भी वही नियम लागू होगा जो महिलाओं के संदर्भ में पहले उल्लेख हो चुका है कि मर्दों को, बापों को अपने नमूने दिखाने और स्थापित करने की ज़रूरत है। बापों को जहां बच्चों का सम्मान करने की ज़रूरत है ताकि उनके आचरण अच्छे हों वहाँ उन पर गहरी नज़र रखने की भी ज़रूरत है ताकि वह परिवेश के बुरे प्रभाव से बचकर रहें।

फिर बापों का बच्चों से संबंध बच्चों को एक सुरक्षा का भी एहसास दिलाता है। कई पिता बच्चों के व्यवहार के बारे में शिकायत करते हैं कि उनमें झिझक पैदा हो गई है या विश्वास की कमी पैदा हो गई है या ग़लत बात अधिक करने लग गए हैं और जब बापों को कहा जाए कि बच्चों के अधिक करीब हों और उनसे व्यक्तिगत संबंध पैदा करें, दोस्ताना संबंध बनाएं तो आमतौर पर देखने में आया है कि इसके परिणामस्वरुप बच्चे में जो कमज़ोरियां हैं वे दूर होना शुरू हो जाती हैं। अत: बच्चों में बाहर के परिवेश से सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए आवश्यक है कि पिता कुछ समय बच्चों के साथ बाहर गुज़ार आए। फिर बापों की यह ज़िम्मेदारी भी है कि जहां बच्चों की तरबियत पर व्यावहारिक ध्यान दें वहाँ उनके लिए दुआओं की तरफ भी ध्यान दें। यह भी ज़रूरी बात है। तरबियत के वास्तविक फल तो अल्लाह तआला की कृपा से लगते हैं लेकिन जो अपनी कोशिश है वह आदमी को ज़रूर करनी चाहिए।

तरबियत के तरीके और बच्चों के लिए दुआओं की ओर ध्यान दिलाते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि-

"मार्गदर्शन और सच्ची तरबियत ख़ुदा तआला का काम है।" (वास्तविक तरबियत जो है अल्लाह तआला का काम है।) "बहुत पीछा करना और

एक बात पर ज़ोर देने में हद से बढ़ जाना, अर्थात बात-बात पर बच्चों को रोकना और टोकन दिखाता है कि मानो हम ही हिदायत के मालिक हैं और हम इसे अपनी इच्छा के अनुसार एक पथ पर ले आएंगे। यह एक प्रकार का छुपा हुआ शिर्क है। इससे हमारी जमाअत को बचना चाहिए।" अपने बारे में फ़रमाया कि "हम तो अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं और सरसरी तौर पर नियमों और शिक्षा के शिष्टाचारों की पाबन्दी कराते हैं।" (शिक्षा हमारी क्या है? इस के शिष्टाचार क्या हैं? क्या नियम हैं? इस की पाबन्दी की तरफ ध्यान दिलाते रहें।) "बस इस से अधिक नहीं और फिर अपना पूरा भरोसा अल्लाह तआला पर रखते हैं जैसा किसी में नेकी का बीज होगा समय पर हरा हो जाएगा।"

(मल्फ़ूज़ात जिल्द 2, पृष्ठ 5 प्रकाशन 1985 ई)

अत: हमें याद रखना चाहिए कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जब कहते हैं कि हम दुआ करते हैं तो उन दुआओं के मियार भी बहुत बुलंद हैं। इस बात को मामूली नहीं समझना चाहिए और दुआ के यह मियार प्राप्त करने के लिए हमें बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। यह कोई मामूली बात नहीं है इसलिए इस तरफ बापों को ध्यान देना चाहिए।

बतौर पिता बच्चों की तरबियत की तरफ कैसे और कितना ध्यान देना चाहिए इस बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बड़े विस्तार से एक जगह बयान फ़रमाते हैं कि "कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बच्चों के लिए कुछ माल छोड़ना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है कि माल छोड़ने का तो उन्हें विचार आता है लेकिन यह विचार नहीं आता कि इसकी चिंता करें कि औलाद सालेह हो तालेह न हो" (यानी दुष्ट और बुरी न हो बल्कि सालेह और नेक हो) फ़रमाया कि "लेकिन यह विचार भी नहीं आता और न इसकी परवाह की जाती है। कभी कभी ऐसे लोग औलाद के लिए धन इकट्ठा करते हैं और औलाद की योग्यता के बारे में चिंता और परवाह नहीं है. वे अपने जीवन में ही औलाद के हाथों त्रस्त होते हैं और उसकी बुरी आदतों से कठिनाइयों में पड़ जाते हैं और वह

माल जो उन्होंने ख़ुदा जाने किन किन तरीकों से और मार्गों से जमा किया था अंत में व्यभिचार शराब पीने में ही खर्च होता है और वह औलाद ऐसे माता-पिता के लिए शरारत और बदमाशी की वारिस होती है।" फ़रमाया कि "बच्चों की परीक्षा भी बहुत बड़ी परीक्षा है अगर औलाद सालेह हो तो किस बात की परवाह हो सकती है। अल्लाह तआला ख़ुद फरमाता है कि وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ (अलआराफ :197) अर्थात अल्लाह तआला आप सालेहीन का मुतवल्ली और मतकफ्फिल होता है। अगर बदबख़्त है तो लाखों रुपए इसके लिए छोड़ जाओ वह बुराई में नष्ट कर के फिर कंगाल हो जाएगी और उन दु:ख और परेशानी में पड़ेगी जो उसके लिए अनिवार्य हैं। फ़रमाया "जो व्यक्ति अपनी राय को अल्लाह तआला की राय और मंशा से सहमत करता है वह औलाद से संतुष्ट हो जाता है और वह उसी तरह है कि उसकी क्षमता के लिए कोशिश करे और दुआएं करे। इस मामले में ख़ुद अल्लाह तआला उसकी रक्षा करेगा।" उसको संभाल लेगा इसका प्रायोजक होगा। क्षमता के लिए कोशिश करे अर्थात इस के तरबियत की तरफ बहुत अधिक ध्यान दे। फ़रमाया "हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक कथन है कि मैं बच्चा था जवान हुआ अब बूढ़ा हो गया मैंने मुत्तकी को कभी ऐसी स्थिति में नहीं देखा कि उसे रिज़क की मार हो और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। अल्लाह तआला तो कई नस्ल तक ध्यान रखता है। अत: ख़ुद नेक बनो बनो और अपनी संतानों के लिए एक उत्कृष्ट नमूना अच्छाई और तक्वा का हो जाओ।" (बात वही है कि संतान का हक़ अदा करने के लिए भी अपनी स्थिति को तदनुसार ढालना होगा जिस की इस्लाम शिक्षा देता है और तभी अगली पीढ़ी जो है वह सही रस्तों पर चलने वाली होगी और माता पिता के लिए आँखों की ठंडक का कारण बनेगी।) आप फ़रमाते हैं "ख़ुद नेक बनो और अपनी औलाद के लिए उत्कृष्ट नमूना नेकी और तक्वा का हो जाओ और इसे नेक तथा धार्मिक बनाने के लिए प्रयास और दुआ करो। जितनी कोशिश तुम उन के लिए धन इकट्ठा

करने के लिए करते हो उतनी ही कोशिश इस बात में करो।" फ़रमाया कि "अत: वे काम करो जो बच्चों के लिए सबसे अच्छा नमूना और सबक हो और इसके लिए आवश्यक है कि सब से पहले स्वयं अपना सुधार करो। यदि तुम उच्च स्तर के मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओगे और अल्लाह तआला को प्रसन्न कर लोगे तो विश्वास किया जाता है कि अल्लाह तआला तुम्हारी औलाद के साथ भी अच्छा मामला करेगा।"

(मल्फ़ूज़ात जिल्द 8 पृष्ठ 108-110 प्रकाशन 1985 ई)

जहां इस्लाम पिता को यह कहता है कि अपने बच्चों के तरबियत पर ध्यान दो और उनके लिए दुआ करो वहाँ बच्चों को भी आदेश है कि तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य है। जब तुम वयस्क हो जाओ तो माता-पिता के भी तुम पर कुछ अधिकार हैं उन्हें तुम ने अदा करना है। यह रिश्तों के अधिकार की कड़ियां ही हैं जो एक दूसरे से जुड़ने से शांतिपूर्ण समाज पैदा करती हैं।

माता-पिता के हक़ अदा करने की कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है और उसका कितना महत्त्व है इस बात का एहसास हर मोमिन को होना चाहिए। एक लड़का जब वयस्क होता है तो उसने कैसे माता पिता का अधिकार देना है इस बात को समझाते हुए आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने एक अवसर पर इरशाद फ़रमाया- अब्दुल्लाह बिन अमरो से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सेवा में अर्ज़ किया कि मैं जिहाद पर जाना चाहता हूं फ़रमाया तेरे माता-पिता जीवित हैं। उसने कहा हाँ जीवित हैं, तो आप ने फ़रमाया कि उन दोनों की सेवा करो यही तुम्हारा जिहाद है। (सहीह अल्बुख़ारी हदीस-3004)

अत: माता पिता की सेवा का महत्त्व इससे ज्ञात हो सकता है।

फिर यही नहीं बल्कि आपस में प्यार और स्नेह का प्रसार करने के लिए पिता के दोस्तों से भी हुस्ने सुलूक का आँ हज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया। अत: इसलिए एक अवसर पर आपने फ़रमाया कि आदमी का सबसे अच्छा धर्म है कि अपने पिता के दोस्तों के साथ हुस्ने सुलूक करे जबकि उसका पिता वफात पा चुका हो।" (सुनन अबी दाऊद हदीस-5143)

फिर इस बात को और अधिक खोलकर एक अवसर पर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस की रिवायत में यूँ उल्लेख मिलता है कि हज़रत अबु उसैद अस्सादी कहते हैं कि हम लोग आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम सेवा में हाज़िर थे कि बनी सलमा का एक व्यक्ति उपस्थित हुआ और पूछने लगा कि हे रसूलल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम! माता-पिता की मृत्यु के बाद कोई ऐसी नेकी है जो उनके लिए कर सकूँ। आपने फ़रमाया हाँ क्यों नहीं, तुम उनके लिए दुआएं करो उनके लिए माफी की तलाश करो। उन्होंने जो वादे किसी से कर रखे थे उन्हें पूरा करो। उनके प्रियजनों तथा संबंधियों से इसी तरह अच्छा व्वयवहार और हुस्ने सुलूक करो जिस तरह वह अपने जीवन में उनके साथ किया करते थे और उनके दोस्तों के साथ सम्मान और इज़्ज़त के साथ पेश आओ।

(सुनन अबी दाऊद हदीस-5142)

फिर एक मौका पर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिस व्यक्ति की इच्छा हो कि उसकी उम्र लंबी हो और उसका रिज़क बढ़ाया जाए तो उसे चाहिए कि अपने माता-पिता का सम्मान करे और रिश्तेदारों से अच्छे व्वयहार की आदत डाले।

(अल्जामेअ लिशुऐब जिल्द 10, पृष्ठ 264-265)

अतः बच्चे केवल नखरे उठाने के लिए नहीं बल्कि यौवन पर पहुंच कर उनके भी कुछ कर्तव्य हैं और माता-पिता के भी कुछ अधिकार हैं जो उन्होंने अदा करने हैं। शादियों के बाद विशेष रूप से अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए और अगर इंसान पत्नी के भी कर्तव्यों को निभा रहा हो और माता-पिता की भी सेवा कर रहा हो और पत्नी को भी यह हिक्मत से एहसास दिलाए कि सास-ससुर का क्या महत्त्व है और ख़ुद भी अपने सास-ससुर की सेवा और उसके महत्त्व को जानता हो तो घरों में जो कई बार झगड़े पैदा हो रहे होते हैं, वे कभी पैदा न हों।

कई बार धार्मिक मतभेद की वजह से पिता पुत्र में मतभेद पैदा हो जाता है। कुछ नए अहमदी अब भी यह सवाल करते हैं इस अवस्था

में बेटों को बापों से अच्छा व्यवहार भी करना है और उनकी सेवा भी करनी है। एक बार बटाला के सफर के दौरान हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम शेख अब्दुर्रहमान साहिब से उनके पिताजी के बारे में हालात पूछ रहे थे और उसके बाद आप ने उन्हें नसीहत फरमाई कि "उनके हक़ में दुआ करो" (वह अहमदी नहीं थे ग़ैर मुस्लिम थे।) "हर तरह और यथा सम्भव माता पिता की दिलजोई करनी चाहिए और उन्हें पहले से हज़ारों गुणा कुछ अधिक नैतिकता और अपना पवित्र नमूना दिखला कर इस्लाम धर्म की सच्चाई को मानने वाला बनाओ। नैतिक नमूना ऐसा चमत्कार है कि जो दूसरे चमत्कार की बराबरी नहीं कर सकते। सच्चे इस्लाम की यह गुणवत्ता है कि इस से मनुष्य उन्नत चरित्र पर हो जाता है और वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाता है। शायद अल्लाह तआला तुम्हारे द्वारा उनके दिल में इस्लाम का प्रेम डाल दे। इस्लाम माता पिता की सेवा नहीं रोकता। सांसारिक मामले जिनसे धर्म का हर्ज नहीं होता उनकी हर तरह से पूरी अनुपालन करना चाहिए। दिल की गहराई से उनकी सेवा करो।

(मल्फ़ूज़ात जिल्द 4 पृष्ठ 175 हाशिया प्रकाशन 1985 ई)

तो यह सामान्य नियम भी है कि तब्लीग़ में मुलायम ज़बान का हमेशा उपयोग होनी चाहिए। उच्च नैतिकता दिखलानी चाहिए।

फिर एक और घटना है यहाँ पिता भी मुसलमान है। इसका विस्तृत जवाब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दिया "एक व्यक्ति ने सवाल किया कि हे हज़रत! माता-पिता की सेवा और उनकी आज्ञा अल्लाह तआला ने इंसान पर फर्ज़ की है लेकिन मेरे माता-पिता हुज़ूर के बैअत के सिलसिला में दाख़िल होने की वजह से मुझे से सख्त निराश हैं और मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते इसलिए जब हुज़ूर की बैअत के लिए आने को था, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमसे पत्राचार भी न करना और अब हम तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। अब मैं इस अल्लाह तआला के कर्तव्य के अनुपालन कैसे बाहर निकलूं। (अल्लाह तआला ने फ़रमाया है कि

माता-पिता की सेवा करो और वह मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। संबंध नहीं रखना चाहते तो मैं इस सेवा को इस फर्ज़ को कैसे पूरा करूं।) आपने फ़रमाया कि "कुरआन शरीफ जहां माता-पिता की आज्ञा का पालन और ख़िदमत गुज़ारी के आदेश देता है वहाँ यह भी फरमाता है कि-

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا (बनी इस्राईल-26)

कि अल्लाह तआला जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अगर तुम नेक हो तो वह अपनी तरफ झुकने वालों के लिए ग़फूर है। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम को भी ऐसी परेशानी आ गई थी कि धार्मिक मजबूरियों की वजह से उनकी अपने माता पिता से विवाद हो गया था बहरहाल आप अपनी ओर से उनकी ख़ैरियत और भलाई के लिए हर समय तैयार रहो। जब कोई मौका नमले इसे हाथ से न दो। तुम्हारी नीयत का इनाम तुम्हें मिलकर रहेगा अगर केवल धर्म की वजह से और अल्लाह तआला की ख़ुशी को प्राथमिकता देने के लिए माता-पिता से अलग होना पड़ा है तो यह एक मजबूरी है। सुधार को समक्ष रखो और नियत की सेहत का ध्यान रखो और उनके हक़ में दुआ करते रहो। यह मामला कोई आज नया नहीं हुआ हज़रत इब्राहीम को भी ऐसा ही घटना घटी थी। बहरहाल ख़ुदा का हक प्रथम है अतः अल्लाह तआला को प्राथमिकता दो और अपनी ओर से माता पिता के अधिकार अदा करने की कोशिश में लगे रहो और उनके हक़ में दुआ करते रहो और सेहते नीयत का ख्याल रखो।

(मल्फूज़ात भाग 10 पृष्ठ 130-131 प्रकाशन 1985 ई)

इरादा सही होना चाहिए। अतः कई लोग जो आज भी यह प्रश्न पूछते हैं कि माता-पिता के भी कर्तव्य हैं, उन को हम ऐसे हालात में कैसे अदा करें, तो उनके लिए यह जवाब पर्याप्त है।

बहरहाल एक मर्द की विभिन्न हैसियतों से जो ज़िम्मेदारियां हैं उन्हें अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने घरों को एक ऐसा नमूना बनाना

चाहिए जहां मुहब्बत और स्नेह का वातावरण हर समय बना रहे। एक मर्द पति भी है, पिता भी है, बेटा भी है। इस दृष्टि से उसे अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए और मर्दों की बहुत सारी हैसियतें और भी हैं लेकिन यह तीन हैसियतें मैंने वर्णन की हैं ताकि घर की जो मूल इकाई है जब इस मूल इकाई में शांति हो और इसमें अधिकतम सुन्दरता पैदा करने की कोशिश की जाए तो तभी समाज की शांति की गारंटी वाला बना जा सकता है। अल्लाह तआला सबको इसका सामर्थ्य प्रदान करे।